

आवेदन पत्र
(कृषि यन्त्र बैंक स्थापित करने हेतु)

1. किसानों के समूह का नाम : -----
श्रेणी (कृष्या √ निशान लगाएं) : किसानों के समूह (सहकारी समितियां / पर्जीकृत किसान समूह / स्वयं सहायता समूह / FPOs / PACS)
2. पंजीकरण नं०-----
3. स्थाई पता
क. गाँव -----
ख. खण्ड-----
ग. जिला-----
4. पैन कार्ड नं०-----
5. मोबाईल नं० (प्राधिकृत व्यक्ति का) -----
6. बैंक खाते का ब्यौरा
क. खाता संख्या -----
ख. बैंक का नाम -----
ग. शाखा का नाम-----
घ. आई.एफ.एस.सी. कोड

10. आवेदित मद एवं परियोजना लागत (कृष्या लागत बताएं)

क्रम सं०	स्कीम का नाम	upto Rs. 10.00 Lakhs	upto Rs. 25.00 Lakhs
1	Establishment of farm Machinery banks for Custom Hiring –		

11. कृषि यन्त्र बैंक स्थापित करने हेतु निम्नलिखित में से किसी भी कृषि यन्त्र एवं उसकी संख्या का चुनाव आवश्यकता अनुसार कर सकता है:-

क्र.सं.	फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषियंत्र का नाम	आवेदन (कृष्या √ निशान लगाएं)
1	हैप्पी सीडर	
2	रोटरी प्लो	
3	रीपर बाइंडर	
4	स्ट्रा बेलर	
5	मल्वर	
6	रिवर्सिबल प्लो	
7	हे रेक	
8	स्ट्रा चोपर	
9	स्ट्रा श्रेडर	
10	वीड / स्ट्रा स्लेशर ट्रैक्टर चालित	
11	स्ट्रा रीपर	
12	जीरो टिल सीड – कम – फर्टीलाइजर ड्रिल	

नोट:

- उपरोक्त वर्णित किसान समूह डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) में कम से कम 3 विभिन्न प्रकार के स्ट्रा प्रबन्धन उपकरण शामिल होने चाहिए। स्ट्रा प्रबन्धन उपकरणों की संख्या परियोजना की कुल लागत की दर से कम या ज्यादा हो सकती है।
- यदि कोई किसान समूह DPR में ट्रैक्टर शामिल करना चाहता है तो केवल एक ही ट्रैक्टर (40 HP – 70HP) के लिए पात्र होगा।

12. प्रस्तावित कस्टम हाईरिंग सेंटर का पता-----

Undertaking

मैं/हम प्रमाणित करता/करते हैं कि उपरोक्त दी गई जानकारी मेरे/हमारे अनुसार बिल्कुल सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं/हम समय-समय पर विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

दिनांक:

स्थान:

प्राधिकृत के हस्ताक्षर

आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

1. सहकारी समिति पंजीकरण की प्रतिलिपि
2. प्रबंधन समिति के प्रस्ताव की प्रति – सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ
3. पैन कार्ड की प्रति
4. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
5. प्रस्तावित कस्टम हाईरिंग सेंटर के स्थान से सम्बन्धित दस्तावेज

नोट:- किसी भी आवेदन पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने एवं चयन प्रक्रिया के बारे में जिला स्तर कार्यकारी समिति का निर्णय अन्तिम होगा।